अनुस्मारक-3

फा.सं.08/01/2026-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 27th अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2025-26 की APAR को SPARROW पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के संबंध में – अनुस्मारक।

राजभाषा विभाग के दिनांक 18.02.2026 तथा 15.05.2026 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों की वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को SPARROW पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूर्ण किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में SPARROW पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया है कि अनेक APAR अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लंबित APAR की स्थिति निम्नानुसार है–

- **01** (श्री मुकेश कुमार सिन्हा) APAR – Officer Reported Upon (ORU) स्तर पर लंबित
- **57 APAR** – Reporting Officer स्तर पर लंबित;
- **188 APAR** – Reviewing Officer स्तर पर लंबित;
- **92 APAR** – Custodian के स्तर पर Disclosure हेतु लंबित;
- **86 APAR** – Disclosure के पश्चात ORU द्वारा पुनः Custodian को अग्रेषित किए जाने हेतु लंबित; तथा
- **180 APAR** – Custodian के स्तर पर Closure हेतु लंबित।

इसके अतिरिक्त, **32 NRC** ORU स्तर तथा **62 NRC** CR स्तर पर लंबित हैं।

2. उल्लेखनीय है कि Reporting Officer स्तर पर APAR पूर्ण करने की निर्धारित अंतिम तिथि **31 जुलाई, 2026** थी। इसके बावजूद उक्त स्तर पर APAR लंबित रहना तथा इसके परिणामस्वरूप आगामी Reviewing Officer एवं अन्य स्तरों पर प्रक्रिया का प्रभावित होगी। अतः सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लंबित APAR पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

3. तदनुसार, सभी संबंधित CSOLS संवर्ग के अधिकारी तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि–

(i) Reporting Officer स्तर पर लंबित APAR को दिनांक **31 अगस्त, 2026** तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर Reviewing Officer को अग्रेषित किया जाए;

(ii) Reviewing Officer स्तर पर लंबित APAR पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगले स्तर/Custodian को दिनांक **10 सितंबर, 2026 तक** अग्रेषित किया जाए;

(iii) ORU स्तर तथा CR स्तर पर लंबित NRC को संबंधित कार्मिकों/कस्टोडियन द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें SPARROW पोर्टल पर आवश्यकतानुसार जमा करें।

4. सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रशासनिक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित APAR की नियमित समीक्षा करें तथा संबंधित Reporting Officer, Reviewing Officer, Custodian एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर **वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।**

5. जहाँ Reporting Officer, Reviewing Officer अथवा अन्य संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने अथवा स्थानांतरण की स्थिति हो, वहाँ संबंधित CSOLS कार्मिक तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के Custodian/प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संबंधित वित्तीय वर्ष की APAR, विशेषकर वर्ष 2025-26 एवं आगामी वर्ष 2026-27, समयबद्ध रूप से generate, process एवं submit की जाए। सेवानिवृत्ति के पश्चात संबंधित अधिकारी का SPARROW account 01 माह की सीमित अवधि तक ही सक्रिय रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में APAR प्रक्रिया को लंबित न रखा जाए तथा सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण से पूर्व अथवा निर्धारित उपलब्ध अवधि के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए।

6. सभी CSOLS कार्मिकों से अनुरोध है कि वे SPARROW पोर्टल पर अपने लॉग-इन/इनबॉक्स की नियमित रूप से जांच करें तथा लंबित APAR पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। किसी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित SPARROW Nodal Officer/राजभाषा विभाग के सेवा अनुभाग से तत्काल संपर्क किया जा सकता है।

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

27/8/26

(जगदीश चंद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23438125
(email- sparrowsupport-csols@gov.in/
soservice-dol@gov.in)

सेवा में,

1. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारी/ अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी कार्मिकों को वेबसाइट के माध्यम से।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फ़ाइल
5. NIC/SPARROW Team - आवश्यक Auto-Forward configuration सुनिश्चित करने हेतु।